

आंध्र प्रदेश राज्य आदि

बनाम

हैदराबाद ऐस्बैस्टोस सीमेंट प्रोडक्शन लिमिटेड आदि

अप्रैल 28, 1994

[एम. एम. पंची और बी. पी. जे. ई. वी. ए. एन. रेड्डी, न्यायाधिपति]

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1957/ केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और टर्नओवर) नियम, 1957:

धाराये : 8 (1), 8 (4), परंतुक/नि. 12 (7) परंतुक - सरकार या पंजीकृत विक्रेता को माल की बिक्री - पर बिक्री कर - धारा के 8(1) के लाभ प्राप्त करने के लिए 'सी' फॉर्म में घोषणा पर बिक्री कर - अपील में घोषणा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण की शक्ति - अभिनिर्धारित, केवल "प्रथम मूल्यांकन प्राधिकरण" शब्दों के उपयोग का मतलब यह नहीं है कि अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील में फॉर्म 'सी' प्राप्त करने की शक्ति नहीं है - शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जायेगा जब डीलर द्वारा निर्धारण के समय तक प्रथम निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष फार्म दाखिल न करने के लिये पर्याप्त कारण दिखाए गया हो।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1957 की धारा 8 की उप-धारा (1) के अनुसार, सरकार को किसी भी सामान की बिक्री या अ अधिनियम की धारा 8 (3) में निर्धारित वस्तुओं की बिक्री के मामले में 4 प्रतिशत की कम दर पर बिक्री कर का किसी पंजीकृत व्यापारी को भुगतान करना आवश्यक था। धारा 8 की उप-धारा (4)। में प्रावधान है कि धारा 8 (1) के प्रावधान किसी भी बिक्री पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक सामान बेचने वाला डीलर निर्धारित प्राधिकारी को सरकार के प्राधिकृत

अधिकारी या उस डीलर जिसे सामान बेचा गया था, द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करता है। 1972 के अधिनियम के संशोधित अधिनियम संख्या 61 द्वारा, अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) और केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और कारोबार) नियम 1957 के नियम 12 के उप-नियम (7) में एक-एक परंतुक जोड़ा गया था, साथ ही, इस आशय का कि फार्म -सी में घोषणा पहले निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण के समय तक या उस प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिये जाने वाले समय तक निर्धारित प्राधिकारी (जो निर्धारण प्राधिकारी था) को प्रस्तुत की जानी चाहिये।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ राजस्व द्वारा दायर अपीलों में, इस न्यायालय के समक्ष राजस्व द्वारा यह तर्क दिया गया था कि चूंकि नियम 12 के उप नियम (7) के परंतुक में विशेष रूप से आवश्यक है कि प्रपत्र-सी "प्रथम निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण के समय तक " प्रस्तुत किया जाना चाहिए और निर्धारण प्राधिकारी में समय के विस्तार की शक्ति भी निहित होनी चाहिये, अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील में प्रपत्र-सी प्राप्त करने और राहत देने की कोई शक्ति नहीं थी; और कि धारा 8 की उपधारा (4) और नियम 12 के उपनियम (7) को ध्यान में रखते हुयेलाभ का प्रावधान किया गया है, यानि कर दायित्व से आंशिक छूट, लाभ प्राप्त करने के इच्छुक डीलर को प्रासंगिक प्रावधानों का सख्ती से और पूरीतरह पालन करना चाहिये ।

अपीलों को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 . केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और कारोबार), 1957 के नियम 12 के उप-नियम (7) में "प्रथम निर्धारण प्राधिकारी" शब्दों का मात्र उपयोग, अधिनियमों के संदर्भ और योजना में इसका अर्थ नहीं हो सकता है कि अपीलीय प्राधिकारियों के पास अपील में फार्मसी प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से केवल

तभी किया जा सकता जहाँ डीलर द्वारा पहले निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष निर्धारण के समय तक प्रपत्र दाखिल न करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया हो [798 - एच, 799-ए]

1.2. अपील में नियम 12 (7) के तहत उल्लिखित घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति कोई स्वाभाविक बात नहीं हो सकती; इसकी अनुमति केवल वहीं दी जानी चाहिए जहां नियम 12 (7) के अनुसार प्रथम निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष इन्हें प्रस्तुत न करने के लिये डीलर द्वारा पर्याप्त कारण स्थापित किया गया हो। दिखाये गये कारणकी पर्याप्तता का निर्णय करते समय उक्त उप नियम की आवश्यकता को अपीलीय अदालत द्वारा विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है। यह याद रखना चाहिये कि यह डीलर का प्राथमिक दायित्व है और इसका पालन करने में उसकी विफलता को उचित रूप से समझाया जाना चाहिये। यदि कोई डीलर पहले निर्धारण प्राधिकारी से अतिरिक्त समय प्राप्त करता है और फिर भी उसके सामने फार्म प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो यह स्पष्ट है कि अपीलीय प्राधिकारी डीलर द्वारा पहले उन्हें प्रस्तुत करने के लिए दिखाए गए पर्याप्त कारण का आकलन करने में एक सख्त मानक अपनाएगा। [799 - ए-सी]

सी. आई. टी. बनाम मैकमिलन, 33 आई. टी. आर. 182, पर भरोसा व्यक्त किया।

तमिलनाडु राज्य बनाम अरुलमुन्नुगन एंड कंपनी, 51 एस. टी. सी. 381 और राजेश्वरी, स्टोन पॉलिशर्स बनाम ए. पी. राज्य, 52 एस. टी. सी. 268, अनुमोदन किया गया।

नारोंडास मैनोरडस बनाम आयकर आयुक्त, 31 आई. टी. आर. 381, 909, संदर्भित किया गया।

बिक्री कर अधिकारी बनाम. अब्राहम, 20 एस. टी. सी. 367, उद्धृत किया गया।

तमिलनाडु राज्य बनाम चेलाराम गारमेंट्स (पी) लिमिटेड, 44 एसटीसी, 239 ;
उपायुक्त (वाणिज्यिक कर), कोयम्बटूर प्रभाग, कोयम्बटूर बनाम पारेकुट्टी हाजी संस,
13 एस. टी. सी. 680 और वाणिज्यिक कर उपायुक्त, मद्रास प्रभाग बनाम मनोहर
ब्रदर्स, 13 एस. टी. सी. 686, - अस्वीकार किया ।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 7360/1993

टी. आर. प्रकरण सं. 160/1985 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय एवं
आदेश दिनांक 25.7.85 से।

सी. सीतारामैया, टी.वी.एस.एन. चारी, निखिल नय्यर और सुश्री प्रोमिला चौधरी,
ए.पी; राज्य में अपीलार्थीगण के लिये।

ए. मारियारपुथम और सुश्री अरुणा माथुर मेसर्स अर्पुथम एंड कंपनी के लिए;
अपीलार्थी के लिये, तमिलनाडु राज्य के लिए ।

हरीश एन. साल्वे, विवेक कोहली, सुश्री मीनाक्षी गोवर, सुमन खेतान, राज चटर्जी;
मेसर्स खेतान एंड कंपनी के लिए, सिविल अपील संख्या 7360/93 में अपीलार्थी के
लिए।

ए. टी. एम. संपत, पी. एन. रामलिंगम, टी. एन. बनर्जी, श्री एच. के. दत्त के
लिए; जोसेफ पुक्कट्ट, श्री राजू रामचंद्रन के लिए, सुनील के. जैन मेसर्स जैन हंसारिया
एंड कंपनी के लिये, प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निर्णय बी. पी. जीवन रेड्डी, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली बिक्री पर कर की दरें
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 द्वारा निर्धारित की जाती हैं। निर्धारित

दरें उस व्यक्ति के आधार पर भिन्न होती है, जिसे सामान बेचा जाता है साथ ही माल की प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं। उप-धारा (1) और (2) को पढ़ने से निम्नलिखित स्थिति प्राप्त होती है:

(1) सरकार को किसी भी वस्तु की बिक्री के मामले में, दर 4 प्रतिशत है। (धारा 8 (1) (ए))

(2) उप-धारा (3) में निर्दिष्ट विवरण के सामान को सरकार के अलावा किसी अन्य पंजीकृत डीलर को बेचने पर 4 प्रतिशत की दर से [धारा 8 (1) (बी)]

(3) धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत नहीं आने वाली बिक्री के मामले में, कारोबार पर कर की गणना उचित राज्य के अंदर ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर लागू दर से दोगुनी दर पर की जायेगी, यदि वे घोषित माल है। [धारा 8 (2) (ए)]

(4) घोषित वस्तुओं के अलावा और उप धारा(1) के अंतर्गत नहीं आने वाल माल की बिक्री के मामले में, 10 प्रतिशत की दर से या ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर लागू दर पर कर लगाया जायेगा। उपयुक्त राज्य, जो भी अधिक हो। [धारा 8 (2) (बी)]

उप-धारा (2-ए) कुछ स्थितियों में, जैसा भी मामला हो, कर की कम दर या कर से छूट प्रदान करती है, जिन पर ध्यान देना यहां आवश्यक नहीं है। उपधारा (3) धारा 8 (1) (बी) क्र प्रयोजन के लिये माल को विशिष्ट करती है; इन वस्तुओं की प्रकृति पर ध्यान देना भी आवश्यक नहीं है। उप-धारा (4), जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक मुख्य प्रावधान है, इस प्रकार है:

इस प्रकार:

"(4) उप-धारा (1) के प्रावधान अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी भी बिक्री पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि सामान बेचने वाला डीलर निर्धारित तरीके से निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं करता है-

(ए) पंजीकृत डीलर, जिसे सामान बेचा जाता है, द्वारा विधिवत भरी और हस्ताक्षरित एक घोषणा जिसमें निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित विवरण शामिल है, या

(बी) यदि माल सरकार को बेचा जाता है, जो पंजीकृत नहीं है तो निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ और सरकार के विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र:

बशर्ते कि खंड (1) में निर्दिष्ट घोषणा निर्धारित समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर प्रस्तुत की जाती है, जिसकी प्राधिकरण पर्याप्त कारण से अनुमति दे।

(उप-धारा (4) का प्रावधान केंद्रीय बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम (1972 का अधिनियम 61) 1 अप्रैल 1973 से जोड़ा गया था)

उप-धारा (4) इस प्रकार धारा 8 की उप-धारा (1) की प्रयोज्यता के लिए एक शर्त निर्धारित करती है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यापारी उप-धारा (1) द्वारा निर्धारित कर की कम दर का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे उसके द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना होगा। यदि बिक्री सरकार को की जाती है [धारा 8 (1) (ए)] तो बिक्री विक्रेता को निर्धारित प्राधिकारी (निर्धारण प्राधिकरण) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसे विधिवत भरा गया हो और सरकार के अधिकारी द्वारा उस पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों। अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में खंड द्वारा विचारित प्रमाण पत्र के प्रपत्र को निर्धारित किया गया है -

इसे 'प्रपत्र डी' कहा जाता है। इसी प्रकार, यदि विक्रेता कहता है कि उसने उप-धारा (3) में निर्दिष्ट विवरण का माल किसी पंजीकृत व्यापारी (पररि 8(1)(बी)) को बेच दिया है, तो उसे विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक पंजीकृत विक्रेता द्वारा जिसे माल बेचा जाता है जिसमें निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित विवरण शामिल होते हैं। अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों में वह प्रपत्र निर्धारित किया गया है जिसमें क्रेता डीलर द्वारा ऐसी घोषणा जारी की जानी है - इसे 'फॉर्म-सी' कहा जाता है। यदि प्रपत्र-डी या प्रपत्र-सी प्रस्तुत किया जाता है, तो निर्धारण प्राधिकरण अंतर-राज्यीय बिक्री पर केवल 4 प्रतिशत की दर से कर लगाएगा; अन्यथा बिक्री पर उप-धारा (2) में निर्धारित दर की उच्च दर लागू होगी।

इससे पहले कि हम उप-धारा (4) के प्रावधान पर विचार करें, इस संबंध में सुसंगत नियम का उल्लेख करना उचित होगा। यह नियम 12 है। यह है। यह एक लंबा नियम है जिसमें दस दस उप-नियम होते हैं। उप-नियम (1) कहता है कि धारा 8 की उपधारा 4 के खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र और घोषणा क्रमशः प्रपत्र-डी और सी में होगी। उप-नियम (1) और उप-नियम (2) से (6) के अन्य प्रावधान उक्त प्रपत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं जिन्हें इस मामले के प्रयोजन के लिये उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। उप-नियम (7) इस प्रकार है:

"(7) प्रपत्र 'सी' या प्रपत्र 'एफ' में घोषणा या प्रपत्र 'ई-1' या प्रपत्र 'ई-आईएल' में प्रमाण पत्र के लिये घोषणा पहले निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण मूल्यांकन के समय तक निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

बशर्ते कि यदि निर्धारित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति को उपरोक्त समय के भीतर ऐसी घोषणा या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण

से रोका गया था, तो वह प्राधिकरण ऐसी घोषणा या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है, जैसा वह प्राधिकारी दे सकता है।

(यह ध्यान दिया जा सकता है कि उप-नियम (7) का परंतुक वर्ष 1972 में 1 अप्रैल, 1972 से जोड़ा गया था, यानी वह तारीख जब और जिस दिन धारा 8 की उप-धारा (4) का परंतुक, 1972 के संशोधन अधिनियम 61 द्वारा जोड़ा गया था।

यह स्पष्ट है कि उप-नियम (7) प्रपत्र-सी और कुछ अन्य प्रपत्रों से संबंधित है। यह फॉर्म-डी से संबंधित नहीं है। उप-नियम का मुख्य अंग कहता है कि प्रपत्र-सी में घोषणा प्रथम निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण के समय तक निर्धारित प्राधिकारी (जिसका अर्थ है निर्धारण प्राधिकारी) को प्रस्तुत की जाएगी।

इस स्तर पर, हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं जिनके लिए 1972 के संशोधन अधिनियम 61 द्वारा उप-धारा (4) का परंतुक जोड़ा गया और नियम 12 के उप-नियम (7) का परंतुक जोड़ा गया। बिक्री कर अधिकारी बनाम अब्राहम, (20) एस. टी. सी. 367), में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 8 (4) में आने वाला वाक्यांश "निर्धारित तरीके से" नियम बनाने वाले प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में उल्लिखित विवरणों को बताते हुये एक नियम निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। बेची गई वस्तुओं का रूप, प्रकृति और मूल्य, जिन पार्टियों को वे बेची गई हैं और किस प्राधिकारी को फार्म प्रस्तुत किया जाना है, लेकिन यह नियम बनाने वाले प्राधिकारी को उस समय सीमा को निर्धारित करने के लिये अधिकृत नहीं करता है जिसके भीतर पंजीकृत डीलर द्वारा घोषणा दी जाती है। इस न्यायालय द्वारा बताई गई खामियों को दूर करने की दृष्टि से, संसद ने 1972 के उपरोक्त (संशोधन) अधिनियम 61 को अधिनियमित किया। प्रावधान नियम बनाने वाले प्राधिकारी को उस समय को निर्धारित करने का अधिकार देता है जिसके भीतर फार्म-

सी, यानि कि उपधारा (4) के खंड (ए) में घोषणा को संदर्भित किया जाना है। प्रावधान न केवल नियम बनाने वाले प्राधिकारी को ऐसा समय निर्धारित करने का अधिकार देता है, बल्कि यह भी प्रदान करता है कि पर्याप्त कारणों से, निर्धारण प्राधिकारी उक्त फार्म को निर्धारित समय के भीतर दाखिल करने की अनुमति दे सकता है। उक्त परंतुक के अनुसरण में, नियम-निर्माता प्राधिकारी ने उप-नियम (7) में परंतुक प्रस्तुत किया जबकि उप नियम (7) का मुख्य अंग कहता है कि फार्म-सी पहले निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण के समय तक प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रावधान कहता है कि यदि निर्धारित प्राधिकारी संतुष्ट है कि डीलर को पर्याप्त रूप से रोका गया था ऐसे प्रमाण पत्र को उपरोक्त समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने के कारण वह ऐसे प्रमाण पत्र को ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है जिसकी वह अनुमति दे। उप-नियम (7) को समग्र रूप से पढ़ने से पता चलता है कि फार्म-सी पहले निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण के समय तक प्रस्तुत किया जायेगा ,लेकिन उचित मामले में निर्धारित प्राधिकारी (जिसका अर्थ संदर्भ में निर्धारण प्राधिकारी है) ऐसी अनुमति दे सकता है। प्रपत्र ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर दाखिल किया जाना चाहिये जिसकी वह अनुमति दे। इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि निर्धारण प्राधिकारी निर्धारण पूरा कर लेगा लेकिन साथ ही डीलर को उसके द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर फार्म सी दाखिल करने की अनुमति देगा। यदि डीलर निर्दिष्ट समय के भीतर फार्म सी दाखिल करता है तो यह स्पष्ट है कि निर्धारण प्राधिकारी अपेक्षित राहत प्रदान करते हुये मूल्यांकन के आदेश को संशोधित करेगा।

कानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद, अब हम इन मामलों में उत्पन्न होने वाले प्रश्न की ओर रुख कर सकते हैं। यह इस प्रकार है: जहां कोई डीलर निर्धारणके समय तक पहले निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रपत्र-सी प्रस्तुत नहींकरता है, तो क्या उसे उसके द्वारा पहली या दूसरी अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई

अपील में उक्त फार्म को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है? दूसरे शब्दों में, सवाल यह है कि क्या अपीलीय प्राधिकरण, क्या पहले या दूसरे अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील में फॉर्म-सी प्राप्त करने और राहत देने की शक्ति है, यदि डीलर अपीलीय प्राधिकरण को संतुष्ट करता है कि उसके पास उक्त प्रमाण पत्र प्रथम मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था? राजस्व का कहना है कि अपीलीय प्राधिकरणों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है क्योंकि नियम 12 स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि प्रपत्र "प्रथम निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण के समय तक" प्रस्तुत किए जाएंगे और यह भी कि इन प्रपत्रों को दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति उप-नियम के परंतुक द्वारा केवल निर्धारण प्राधिकरण में निहित है। तर्क यह है कि नियम 12 के उप-नियम (7) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (4) कर दायित्व से आंशिक छूट के लिए लाभ प्रदान करती है। यदि कोई व्यापारी इस तरह के लाभ या आंशिक छूट का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे संबंधित प्रावधानों का सख्ती से और पूरी तरह से पालन करना होगा। उक्त प्रावधानों का लाभ केवल तभी दिया जा सकता है जब प्रासंगिक शर्तें पूरी हो जाएं और अधिनियम और नियम द्वारा निर्धारित तरीके से और किसी अन्य तरीके से नहीं। नियम 12 (7) द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। इस तरह के मामले में कोई भी इक्विटी शामिल नहीं है और ऐसे मामले में पर्याप्त अनुपालन की अवधारणा को लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, विक्रेताओं का मामला यह है कि अपीलीय प्राधिकरण की शक्ति पहले निर्धारण प्राधिकरण के साथ सह-व्यापक है और इसलिए, पहले निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जो किया जा सकता है वह अपीलीय प्राधिकरण द्वारा समान रूप से किया जा सकता है, चाहे वह पहला हो या दूसरा अपीलीय प्राधिकरण। यह इंगित किया गया है कि इसमें संबंधित राज्य बिक्री कर अधिनियमों के तहत अपील की शक्ति (जिसे धारा (9) के आधार पर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम में पढ़ा

जाना है) सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक अपील से चरित्र और दायरे में अलग है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बिक्री कर अधिनियमों के तहत एक अपीलीय प्राधिकरण के पास न केवल अपील के तहत आदेशों की पुष्टि करने, कम करने या रद्द करने की शक्ति है, बल्कि कर देयता को बढ़ाने के लिए भी शक्ति है, भले ही अपील डीलर द्वारा दायर की गई हो। संक्षेप में, अपील विशेष रूप से पहली अपील-एक पुनर्निर्धारण की प्रकृति में है जहां पूरा निर्धारण खुला है, भले ही विक्रेता ने कुछ पहलुओं तक सीमित अपील दायर की हो। डीलरो के लिए विद्वान वकील का कहना है कि नियम 12 के उप नियम(7) में प्रथम निर्धारण प्राधिकारी पदवी के उपयोग में कोई विशेष पवित्रता नहीं जुड़ी है। वे यह भी बताते हैं कि आंध्र प्रदेश बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण स्पष्ट रूप से अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जो भी अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से प्रपत्र-सी प्राप्त करने के लिए न्यायाधिकरण की शक्ति को इंगित करता है, सशक्त है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को छोड़कर लगभग सभी उच्च न्यायालय ने डीलरो द्वारा आग्रह की गई दलीलो को बरकरार रखा है। मद्रास उच्च न्यायालय में, एक पीठ ने तमिलनाडु राज्य बनाम चेल्लाराम गारमेंट्स (पी) लिमिटेड, 44 एस. टी. सी. 239 में विचार लिया था, कि अपीलीय प्राधिकरण के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है और ऐसे मामले में उसके लिए एकमात्र रास्ता फॉर्म सी की लागू किये जाने की क्षमता पर विचार करने के उद्देश्य से मामले को निर्धारण प्राधिकरण को वापस भेजना है। (वास्तव में, यह मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पहले के दो निर्णयों में लिया गया दृष्टिकोण प्रतीत होता है, अर्थात् उपायुक्त (वाणिज्यिक कर), कोयंबटूर प्रभाग, कोयंबटूर बनाम पारेकुट्टी हाजी संस, 13 एस. टी. सी. 680 और वाणिज्यिक कर उपायुक्त, मद्रास प्रभाग बनाम मनोहर ब्रदर्स, 13 एस. टी. सी. 686 हालाँकि, बाद में, उस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने तमिलनाडु राज्य बनाम. अरुलमुरुगन एंड कंपनी, 51 एस. टी. सी. 381 में चेल्लाराम गारमेंट्स में

पहले के फैसले से असहमत होते हुये कहा कि अपीलीय अधिकारियों के पास इस तरह की शक्तियां हैं।

हमारे सामने जो मामले हैं वो दो राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हैं। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा। उप-धारा (2) में कहा गया है कि संबंधित राज्य बिक्री कर अधिनियम के तहत तंत्र भारत सरकार की ओर से केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम का आकलन, पुनर्निर्धारण और गणना करने के लिए तंत्र होगा। राज्य अधिनियम के तहत अधिकारी केंद्रीय बिक्री कर के आकलन, पुनर्निर्धारण और गणना के उद्देश्यों के लिए संबंधित राज्य अधिनियम द्वारा उन्हें प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। निर्धारण, अपील, संशोधन, समीक्षा और अन्य कार्यवाहियों से संबंधित राज्य अधिनियमों के प्रावधान उक्त उद्देश्य के लिए समान रूप से लागू किए जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ,उपरोक्त दो राज्य प्रावधानों के तहत अपीलीय शक्ति के स्वभाव और चरित्र पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा । तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 की धारा 31 में उसमें निर्दिष्ट धाराओं के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलीय सहायक आयुक्त को अपील करने का प्रावधान है। धारा 31 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि किसी के खिलाफ अपील में या निर्धारण के लिये, अपीलीय सहायक आयुक्त के पास " निर्धारण या जुर्माना या दोनों की पुष्टि करने, कम करने, बढ़ाने या रद्द करने", का अधिकार होगा, ताकि निर्धारण को अलग रखा जा सके और निर्धारित प्राधिकारी को ऐसी आगे की जांच के बाद नए सिरे से निर्धारण करने का निर्देश देने की शक्ति होगी, जो निर्देश दिया जा सके, और ऐसे अन्य आदेश भी पारित करने की शक्ति होगी जो वह उचित समझे। इसी तरह की शक्तियां तब भी उपलब्ध हैं जहां अपील निर्धारण आदेश के अलावा किसी अन्य आदेश

के खिलाफ है। धारा 31-ए में निर्दिष्ट आदेशों के खिलाफ उपायुक्त को अपील करने का प्रावधान है। धारा 31-ए की उप-धारा (3) उपायुक्त को धारा 31 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के समान शक्तियां प्रदान करती है। धारा 36 में अपीलीय सहायक आयुक्त के साथ-साथ उपायुक्त के आदेशों के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का प्रावधान है। धारा 36 की उप-धारा (3) फिर से धारा 31 की उप-धारा (3) और धारा 31-ए की उप-धारा (3) के समान ही है। आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम के तहत स्थिति अलग नहीं है। धारा 19 निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपील करने का प्रावधान करती है। धारा 19 की उप-धारा (3) (जो तमिलनाडु अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (3) से मेल खाती है) में लिखा है:

(ए) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद और प्रक्रिया के ऐसे नियमों के अधीन हो सकता है जो निर्धारित किये जा सकते हैं:

(ए) निर्धारण या जुर्माना, या दोनों की पुष्टि करना, कम करना, बढ़ाना या रद्द करना; या

(बी) निर्धारण या जुर्माना, या दोनों को अलग कर दे, और मूल्यांकन प्राधिकारी को ऐसी आगे की जांच के बाद एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दें जो निर्देशित किया जा सके; या

(सी) ऐसे अन्य आदेश पारित करें जो वह उचित समझे।

उप-धारा (4) में कहा गया है कि उप-धारा (3) के तहत आदेश पारित करने से पहले, अपीलीय प्राधिकारी ऐसी जांच कर सकता है जो वह उचित समझे या किसी निर्दिष्ट बिंदु या बिंदुओं पर जांच और रिपोर्ट के लिये मामले को किसी अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी को भेज सकता है। धारा 21 अपीलीय न्यायाधिकरण में दूसरी अपील का प्रावधान करती है और धारा 21 की उपधारा (4) फिर से धारा 19 (3) के

समान है। आंध्रप्रदेश अधिनियम की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये, बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपनी प्रक्रिया और अपने व्यवसाय के निपटान को विनियमित करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। विनियम 11 न्यायाधिकरण को अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार देता है। उप-विनियम (1) व्यावहारिक रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 के नियम 27 के समान है। विनियम 11 (1) निम्नानुसार है:

"11. नये सबूत और गवाह: (1) पक्ष या प्रत्यर्थी अतिरिक्त साक्ष्य न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी; लेकिन

(ए) यदि वह प्राधिकारी जिसके आदेश से अपील की गई है, ने उन सबूतों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए था, या

(बी) यदि अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग करने वाला पक्ष या प्रत्यर्थी अपीलकर्ता न्यायाधिकरण को संतुष्ट करता है कि ऐसा साक्ष्य, उचित परिश्रम के बावजूद, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा उस समय या उससे पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब अपील के अधीन आदेश पारित किया गया था, या

(सी) यदि न्यायाधिकरण को आदेश पारित करने में सक्षम बनाने के लिये किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी गवाह की जांच करने की आवश्यकता होती है, या

(डी) किसी अन्य पर्याप्त कारण से न्यायाधिकरण ऐसे प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य या दस्तावेज या गवाहों की जांच की अनुमति दे सकता है -

बशर्ते कि दूसरा पक्ष, ऐसे मामलों में, खंडन साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का हकदार होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अधिनियमों ने आम तौर पर भारतीय आयकर अधिनियम, 1922/आयकर अधिनियम, 1961 में अपील से संबंधित प्रावधानों को अपनाया है। भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 31 की उप-धारा (3) बशर्ते कि, अपील के निपटान में, अपीलीय सहायक आयुक्त, निर्धारण के आदेश के मामले में, (क) निर्धारण की पुष्टि, कमी, बढ़ा या रद्द कर सकता है, या (ख) निर्धारण को अलग कर सकता है और आयकर अधिकारी को ऐसी आगे की जांच करने के बाद नए सिरे से निर्धारण करने का निर्देश दे सकता है जो आयकर अधिकारी उचित समझे या अपीलीय सहायक आयुक्त निर्देश दे, और आयकर अधिकारी उसके बाद ऐसा नए सिरे से निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ेगा, और यह निर्धारित करेगा कि ऐसे नए निर्धारण के आधार पर देय कर की राशि कहां आवश्यक है। उक्त प्रावधान की व्याख्या करते हुए, चगला, मुख्य न्यायाधिपति, (स्वयं और टेन डोलकर, न्यायाधिपति की पीठ के लिए बोलते हुए) ने नरोंदास मनोरदास बनाम आयकर आयुक्त, (31 आई. टी. आर. 909) में यह अभिनिर्धारित किया था कि:

"..... उस निर्धारण को बढ़ाने की शक्ति देनेमें, कानून ने अपील की अदालत को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों से आश्चर्यजनक रूप से विचलन किया है। हालांकि विभाग आयकर अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है और यद्यपि अपील केवल निर्धारिती द्वारा की जाती है, फिर भी विधायिका अपीलीय सहायक आयुक्त को आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है जो अपीलकर्ता के पूर्वाग्रह के लिये स्पष्ट है। इसलिये, हालांकि अपीलकर्ता मूल्यांकन में केवल विशेष बिंदुओं की शिकायत कर सकता है और वह शेष निर्धारण के संबंध में संतुष्ट हो सकता है, अपीलीय सहायक आयुक्त की शक्तियां केवल उन बिंदुओं पर विचार करने तक ही सीमित नहीं हैं

जिनके बारे में निर्धारिती को शिकायत है, लेकिन वह उन बिंदुओं पर विचार कर सकता है जिनके बारे में करदाता संतुष्ट है और निर्धारण को आगे बढ़ाने का आदेश दे सकता है। अब, यह स्पष्ट है कि विधानमंडल द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्पष्ट शब्दों को देखते हुए निर्धारण को आगे बढ़ाने या निर्धारण को अलग करने और आय-कर अधिकारी द्वारा किया जाने वाले नये निर्धारण के निर्देश देने में अपीलीय सहायक आयुक्त की शक्ति पर सीमा या योग्यता के कोई शब्द नहीं हैं.... यह स्पष्ट है कि अपीलीय सहायक आयुक्त को आयकर अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध एक पुनरीक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है; एक पुनरीक्षण प्राधिकारी उन मामलों को संशोधित करने के संकीर्ण अर्थ में नहीं जिसके बारे में निर्धारिती शिकायत करता है, बल्कि इस अर्थ में एक पुनरीक्षण प्राधिकारी है कि एक बार अपील उसके सामने होने के बाद वह न केवल आयकर अधिकारी द्वारा की गई अंतिम गणना को संशोधित कर सकता है, बल्कि वह हर उस प्रक्रिया को संशोधित कर सकता है जिसके कारण अंतिम गणना या मूल्यांकन होता है। दूसरे शब्दों में, वह जो संशोधित कर सकता है वह केवल अंतिम राशि नहीं है जो कर के लिए उत्तरदायी है, बल्कि वह निर्धारण के दौरान आयकर अधिकारी द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों और विभिन्न आय या कटौतियों को भी संशोधित करने का हकदार जो आयकर अधिकारी के विचार के लिये आई।"

उक्त दृष्टिकोण की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा सी. आई. टी. बनाम मैकमिलन (33 आई. टी. आर. 182) में की गई थी।

स्पष्ट रूप से, इसलिए, उक्त दो अधिनियमों के तहत अपील की शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलीय न्यायालयों की शक्ति से पूरी तरह से अलग है। भले ही डीलर द्वारा की गई निर्धारण के किसी विशेष पहलू तक ही सीमित हो, लेकिन निर्धारण को बढ़ाने के लिए अपीलीय अधिकारियों के लिए यह खुला है। वे निर्धारण के आदेश को रद्द भी कर सकते हैं और नए सिरे से निर्धारण का आदेश भी दे सकते हैं। जैसा कि चागला, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, उक्त अधिनियमों के तहत अपीलीय प्राधिकरण पुनरीक्षण प्राधिकारी की प्रकृति में है "उन मामलों को संशोधित करने के संकीर्ण अर्थ में नहीं हैं जिनके बारे में निर्धारिती को शिकायत है, बल्कि एक पुनरीक्षण प्राधिकारी इस अर्थ में कि एक बार उसके समक्ष अपील होने पर, वह न केवल आयकर अधिकारी द्वारा की गई अंतिम गणना को संशोधित कर सकता है, बल्कि वह हर उस प्रक्रिया को संशोधित कर सकता है जिसके कारण अंतिम गणना या मूल्यांकन होता है। ऐसी स्थिति में, यह तर्क देना व्यर्थ है कि नियम 12 (7) की भाषा के कारण, अपीलीय अधिकारी वह नहीं कर सकते जो पहला मूल्यांकन प्राधिकरण कर सकता है।

हम राजस्व के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि क्योंकि नियम 12 (7) "प्रथम निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण के समय तक" की बात करता है-या उस मामले के लिए उक्त उप-नियम का परंतुक - यह आवश्यक निहितार्थ से, अपीलीय अधिकारियों को बाहर करता है। मैकमिलन का निर्णय इस विवाद का पूरा जवाब देता है। हम भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (वर्तमान अधिनियम की धारा 145 के अनुरूप) की धारा 13 को निम्नानुसार विस्तार से पढ़ सकते हैं :

"13. आय, लाभ और लाभ की गणना धारा 10 और 12 के उद्देश्यों के लिए निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन की

विधि के अनुसार की जाएगी बशर्ते कि, यदि लेखांकन की कोई विधि नियमित रूप से नियोजित नहीं की गई है, या यदि नियोजित विधि ऐसी है कि, आयकर अधिकारी की राय में आय, लाभ और प्राप्ति उचित रूप से नहीं निकाले जा सकते हैं, तो गणना की जायेगी ऐसे आधार पर और ऐसे तरीके से जैसा कि आयकर अधिकारी निर्धारित कर सकता है।"

धारा 13 के परंतुक में आने वाले शब्दों "आयकर अधिकारी की राय में" पर भरोसा करते हुये, निर्धारिती द्वारा यह तर्क दिया गया था कि लेखांकन की विधि को इस आधार पर अस्वीकार करने की शक्ति या कर्तव्य है कि आय, लाभ और लाभ की ठीक से गणना उचित रूप से नहीं की जा सकती है। उससे उचित रूप से कटौती केवल केवल आयकर अधिकारी को दिया जाता है और अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित अधिकारियों के उत्तराधिकार में किसी दी जाती है, न कि अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित प्राधिकारियों के उत्तराधिकार में किसी अन्य प्राधिकारी को। दूसरी ओर, राजस्व का तर्क था कि धारा 13 को धारा 31 (3) के साथ पढ़कर यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अपीलीय सहायक आयुक्त को उक्त मामले में आयकर अधिकारी के समान अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किये गये विवाद को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं, जो हमारे समक्ष राजस्व द्वारा आग्रह किए गए विवाद के लिए उनकी प्रासंगिकता को देखते हुए विस्तार से उद्धृत किए जाने योग्य हैं:

"हम तर्क की इस पंक्ति को सही मानने में असमर्थ हैं, और हमारे कारण ये हैं। सबसे पहले, हम सोचते हैं कि विद्वान वकील "आय-कर अधिकारी की राय में" धारा 13 के परंतुक में घटित होने वाले अभिव्यक्ति को इस्तेमाल की गई भाषा से अधिक

समझ रहे हैं। क्या लेखांकन की विधि को नियमित रूप से नियोजित किया जाता है या नहीं, यह निसंदेह एक ऐसा मामला है जिस पर अपीलीय सहायक आयुक्त तब जा सकता है जब उसे पास अपील की सुनवाई हो। इसे चुनौती नहीं दी गई है कि यदि आय-कर अधिकारी निर्धारिती के खिलाफ निर्णय लेता है और यह निर्धारित करता है कि आय, लाभ और लाभ प्राप्ति को निर्धारिती की लेखांकन विधि से उचित रूप से नहीं काटा जा सकता है, तो निर्धारण निर्धारिती द्वारा अपील पर अपास्त किया जा सकता है। फिर यह मानने का क्या कारण है कि एक नामित प्राधिकारी का व्यक्तिपरक निर्धारण (जो भी अभिव्यक्ति का उपयोग किया जा सकता है) एक मामले में उल्लंघनकारी है लेकिन दूसरे में ऐसा नहीं है? हमने अधिनियम की अन्य धाराओं की सावधानीपूर्वक जांच की गई जिनका प्रतिवादी के विद्वान वकील ने उल्लेख उल्लेख किया है; लेकिन हम उससे सहमत होने में असमर्थ हैं कि उसमें उपयोग की गई उनके द्वारा खींचे गये अत्यंत सूक्ष्म भेद का समर्थन करती है। हम उदहारण के लिये धारा 23 को लेंते हैं जो निर्धारण से संबंधित है। उप-धारा (3) के तहत, आय-कर अधिकारी निर्धारिती की कुल आय का आकलन करता है और ऐसे निर्धारण के आधारपर देय राशि निर्धारित करता है; उप-धाराओं (4) के तहत, आय-कर अधिकारी "अपने सर्वोत्तम निर्णय" के अनुसार आयकर अधिकारी की राय से कहीं अधिक मजबूत अभिव्यक्ति के आधारपर मूल्यांकन करता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि एक अपील में धारा 23 के तहत एक निर्धारण, अपीलीय सहायक आयुक्त आयकर अधिकारी के निर्धारण या निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है, और ऐसी अपील में अपीलीय सहायक आयुक्त अपना स्वयं का निर्धारण कर सकता है और उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो आयकर अधिकारी प्रयोग करता हो। 1989 से एक अपील धारा 23 की उप धारा(4) के तहत किये गये "सर्वोत्तम निर्णय" निर्धारण से होती है, लेकिन अधिकार "आकलन की गई आय की राशि या निर्धारित कर की राशि", तक सीमित है। फिर वह धारा 13 के

प्रावधान के तहत आयकर अधिकारी की राय में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकता? यह तर्क दिया गया है कि धारा 23 के उपधारा (3) धारा और (4), दोनों ने उसमें उल्लिखित शक्ति के कार्यान्वयन के लिये वस्तुनिष्ठ शर्तें निर्धारित की हैं। यह सच है कि दोनों उप-धाराओं के तहत निर्धारण एक निष्पक्ष और ईमानदार अनुमान होना चाहिए, न कि मनमाना या सनकी। हालाँकि, इसके अलावा, हम यह नहीं देखते हैं कि अन्य कौनसी विशिष्ट, वस्तुनिष्ठ स्थितियाँ हैं जो उन उपवर्गों को एक अलग श्रेणी में रखती हैं।

"आयकर अधिकारी की राय में" शब्दों को केवल विवेकाधीन शक्ति के अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिये, बल्कि धारा 13 के परंतुक में उपयोग किए गए शब्दों के संदर्भ में वे आयकर अधिकारी पर एक वैधानिक कर्तव्य हर मामले में लेखांकन की विधि की जांच करने के लिये और यह देखने के लिये (i) क्या यह नियमित रूप से नियोजित है या नहीं और (ii) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आय, लाभ और लाभ प्राप्ति उसमें से उचित रूप से निकाले जा सकते हैं। अधिनियम की धारा 30 निर्धारिती को धारा 23 के तहत किए गए निर्धारण के आदेश सहित कुछ आदेशों के संबंध में निर्धारिती को अपील करने का अधिकार देता है। धारा 31 अपील की सुनवाई और अपीलीय सहायक आयुक्त की शक्तियों से संबंधित है। अपील का निपटारा करने से पहले, अपीलीय सहायक आयुक्त, यदि वह उचित समझता है, तो स्वयं एक और जांच कर सकता है या इसे आयकर अधिकारी द्वारा कराया जा सकता है, और अपील का निपटारा करते हुए वह निर्धारण के आदेश की स्थिति में, निर्धारण की पुष्टि, कमी, वृद्धि या रद्द कर सकता है; वह इसे अपास्त कर सकता है और एक नए निर्धारण का आदेश दे सकता है। अधिनियम की धारा 31 की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक अपीलीय सहायक आयुक्त की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाता है ताकि उसे धारा 13 के प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करने से रोका जा सके। प्रतिबंध, यदि कोई हो,

का अनुमान परंतुक की भाषा से ही लगाया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि धारा 13 के परंतुक के दूसरे भाग में "आयकर अधिकारी की राय में" शब्दों का उपयोग पहली बार निर्णय लेने के लिए अपीलीय सहायक आयुक्त की अधिकारिता को पूरी तरह से समाप्त करने का सुझाव देती है कि लेखांकन की विधि ऐसी है जिससे आय, लाभ और लाभ प्राप्ति का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सके। यह सच है कि लेखांकन की विधि के बारे में निर्णय सबसे पहले आयकर अधिकारी द्वारा खातों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद किया जाना है कि क्या वे सरल या जटिल हैं, और शक्ति का यथोचित और न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना है, जिसमें कोई भी व्यक्तिपरक या मनमाना निर्णय आय-कर अधिकारी द्वारा शामिल नहीं है। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह से प्रयोग की जाने वाली शक्ति अंतिम है और इसे अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा समीक्षा से बाहर रखा जाएगा और आदेश की समीक्षा में अपीलीय प्राधिकरण उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका उपयोग आयकर अधिकारी कर सकता है।

उपरोक्त टिप्पणियों से पता चलता है कि नियम 12 के उपनियम (7) में "प्रथम मूल्यांकन प्राधिकारी" शब्दों का मात्र उपयोग, यहां संबंधित अधिनियमों के संदर्भ और योजना में, यह नहीं हो सकता है और न ही इसका मतलब यह है कि अपीलीय प्राधिकारी अपील में फार्म सी प्राप्त करने के लिये कोई शक्ति नहीं रखता है। इस शक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से केवल तभी किया जा सकता है जहां डीलर द्वारा पहले निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष निर्धारण के समय तक उन्हें दाखिल न करने के लिये पर्याप्त कारण दिखाया गया हो। यदि किसी दिये गये मामले में, एक डीलर ने पहले निर्धारण प्राधिकारी से अतिरिक्त समय प्राप्त किया था और फिर भी उन्हें उसके सामने पेश करने में विफल रहा, तो यह स्पष्ट है कि अपीलीय प्राधिकारी डीलर द्वारा उत्पादन करने के लिये दिखाये गये पर्याप्त कारण का आकलन करने में एक कठोर

मानक अपनायेगा। उन्हे पहले, यह दोहराना आवश्यक है कि अपील में उन प्रपत्रों की प्राप्ति कोई निश्चित बात नहीं हो सकती; इसकी अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिये जहां नियम 12 (7) द्वारा प्रथम निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष इन्हें प्रस्तुत न करने के लिये डीलर द्वारा पर्याप्त कारण स्थापित किया गया हो। दिखाये गये कारणकी पर्याप्तता का निर्णय करते समय, उक्त उप नियम की आवश्यकता को अपीलीय अदालत द्वारा विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है। यह याद रखना चाहिये कि यह डीलर का प्राथमिक दायित्व है और इसका पालन करने में उसकी विफलता को उचित रूप से समझाया जाना चाहिये। जहां तक आंध्र प्रदेश अधिनियम के तहत बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण का संबंध है, यह यहां उपर उल्लिखित विनियम 11 (1) द्वारा शासित है जो फिर से उसी शक्ति की पुनरावृत्ति के अलावा और कुछ नहीं है।

अरुलमुरुगन एंड कंपनी में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय में तर्क व्यावहारिक रूप से उपर बताये अनुसार समान पंक्तियों पर है। हम उक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं। यह भी हमारे संज्ञान में लाया गया है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राजेश्वरी स्टोन पॉलिशर्स बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (52 एस. टी. सी. 268) में भी यही विचार रखा है।

उपरोक्त कारणों से, अपीले (ये सभी तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश राज्य को दायर की गई थी), खारिज की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकार की गई।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।